मुंबई के तीन प्रमुख संगठनों की पुलिस आयुक्त को चेतावनी

मुंबई में सांप्रदायिक दंगे के लिए 'उर्दू टाइम्स' जिम्मेदार होगा

H.M.D 21/7/2004

■ संवाददाता

मुंबई : अगर मुंबई में धार्मिक हिंसा या सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसके लिए दैनिक 'उर्दू टाइम्स' ही जिम्मेदार होगा. इस तरह की लिखित चेतावनी मुंबई के तीन प्रमुख संगठनों ने पुलिस आयुक्त रॉय से मुलाकात करके दर्ज करायी है.

पिछले दो हफ्तों से 'उर्दू टाइम्स' मुसलमानों को जावेद अख्तर, डॉ. अली अहमद फातमी और साजिद रशीद के खिलाफ धार्मिक हिंसा के लिए उकसा रहा है. 'उर्दू टाइम्स' ने मशहूर शायर जावेद अख्तर के खिलाफ उस वक्त से अश्लील प्रचार शुरू कर रखा है जब से उन्होंने मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (एम.एस.डी.) का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है. ये संगठन मुसलमानों की धर्मांधता के विरोध में हैं और तीन तलाक का विरोध करते रहे हैं. 'महानगर' के पाठक जैसा कि जानते हैं 'उर्दू टाइम्स' ने जावेद अख्तर को काफिर और इस्लाम दुश्मन ठहराते हुए उन्हें खतरनाक परिणामों की धमकी भी दी थी. जावेद अख्तर के बाद इस सांप्रदायिक अखबार ने महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी के कार्याध्यक्ष और एमएसडी के उपाध्यक्ष साजिद रशीद के खिलाफ मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़काने की मुहिम छेड़ दी है. उन्हें भी इस्लाम दुश्मन और काफिर लिखकर मुसलमानों को उनके खिलाफ हिंसा के लिए उकसा रहा है. शहर के शांत वातावरण को दूषित करने वाले 'उर्दू टाइम्स' की इस घृणित मुहिम का कई मानवाधिकार और महिला संगठनों ने सख्त विरोध किया है. कल पुलिस आयुक्त ए.एन.राय से मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, महाराष्ट्र उर्दू राइटर्स गिल्ड, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और जनवादी लेखक संघ के पदाधिकारियों ने 'उर्दू टाइम्स' के धार्मिक हिंसा भड़काने की साजिशों की सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करायी और उन्हें चेतावनी दी है कि अगर मुसलमानों में धार्मिक हिंसा भड़कती है या फिर साजिद रशीद और एमएसडी के पदाधिकारियों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए केवल 'उर्दू टाइम्स' जिम्मेदार होगा. एमएसडी के महासचिव जावेद आनंद ने उर्दू टाइम्स

(शेष पृष्ठ १२ पर)

ए.एन.राय : कड़ी चुनौती

जिम्मेदार *(पृष्ठ १से)*

के सांप्रदायिक चरित्र के बारे में बताया कि लातूर और गुजरात के भूकंपों के लिए उसने इन दोनों इलाकों के लोगों पर खुदा का प्रकोप का नाम देकर संतोष व्यक्त किया था कि यहीं के लोग बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल थे इसलिए उन्हें यह सजा मिली है. जावेद आनंद ने कहा कि इससे ज्यादा अमानवीय सोच और क्या हो सकती है. एक अखबार इतना भी सांप्रदायिक हो सकता है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. 'महानगर' के प्रधान संपादक निखिल वागले ने पुलिस आयुक्त को याद दिलाया कि यह वही 'उर्दू टाइम्स' है जिसे श्रीकृष्ण आयोग ने दंगों में भड़काऊ खबरें छापने के लिए फटकार लगायी थी. तिस्ता सेटलवाड ने कहा कि उर्दू का यही अखबार प्रेस कौंसिल से भी सांप्रदायिकता भड़काने के लिए फटकार खा चुका है और अब मुंबई शहर को धार्मिक हिंसा की आग में झोंकना चाहता है. हसन कमाल और गुलाम पेश इमाम ने विस्तार से बताया कि वे भी धार्मिक मुसलमान हैं लेकिन धर्मांधता के खिलाफ हैं, जबकि 'उर्दू टाइम्स' धर्मांधता और सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले मुसलमानों को निशाना बनाता रहा है. इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. महाराष्ट्र उर्दू राइटर्स गिल्ड की ओर से याकूब राही और सलाम बिन रज्जाक ने एक ज्ञापन पेश किया जिसमें विस्तार से १२ और १३ जून को होने वाले उस सेमिनार के बारे में जानकारी दी गयी जहां के बारे में 'उर्दू टाइम्स' ने कुरआन का अपमान करने की एक बेबुनियाद खबर मिर्च मसाला लगाकर छापी थी. ज्ञापन में कहा गया है कि सेमिनार में हस्ताक्षर कर्ता लेखक मौजूद थे और वे इस बात के गवाह हैं कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसे कुरआन का अपमान कहा जाये. यह सारा विवाद 'उर्दू टाइम्स' अपने निहित स्वार्थों के लिए फैला रहा है. साजिद रशीद ने आखिर में एक लिखित शिकायत 'उर्दू टाइम्स' और उसके मालिक सईद अहमद के खिलाफ पुलिस आयुक्त के सामने पेश की जिसमें सेमिनार और उसके बाद की घटनाओं का जिक्र करते हुए ये आरोप लगाया है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया गया है और अगर उन पर कोई हमला होता है या उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए 'उर्दू टाइम्स' और सईद अहमद जिम्मेदार होंगे.

पुलिस आयुक्त ने इस प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करना और शहर में शांति कायम रखना उनकी जिम्मेदारी है. अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा.

इस प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वालों में इनायत अख्तर, अब्दुल अहद साज, मुख्तार खान, मुकद्दर हमीद, आसिफ खान आदि शामिल थे.